

कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं-सेवा-2/अराज./

132 / 2016-2017 दिनांक ०५ मई, 2016

“कार्यालय ज्ञाप”

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की चयन संस्थिति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 233/XXIV-नवसृजित/16-17(01)/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या 257 XXIV-नवसृजित/16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के ब्रह्म में उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निम्नांकित सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रु 9300-34800, ग्रेड पे-4600) को उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संबंधी) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रु 9300-34800, ग्रेड पे-4800) में प्रवक्ता—नागरिक शास्त्र (भृहिला शास्त्र) के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

क्र सं	अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	वर्तमान पद एवं विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	अम्भुकित
1	2	3	04	05	06
1	श्रीमती दीपा टम्टा	रा०क०इ०का० भवाली नैनीताल	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० भिकियासेण अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती पीताम्बरी रावत	रा०क०इ०का० कलालघाटी, पौड़ी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० सोमेश्वर अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती हर्षिता मिश्र	रा०क०उ०मा०वि० मलेथा, टिहरी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० थराली चमोली	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती कामिनी रावत	रा०क०उ०मा०वि० शमशेरगढ़ देहरादून	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० पाये बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती उषा पंवार	रा०क०इ०का० उत्तरकाशी	स०अ० सामान्य	रा०क०इ०का० उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती गीता देवी	रा०क०इ०का० पोखरी, पौड़ी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० ऋषिकेश देहरादून	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती अल्का विजल्याण	रा०क०उ०मा०वि० हाथी बड़कला देहरादून	स०अ० व्यायाम	रा०बा०इ०का० ढौखुटिया अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती सुधा नेगी	रा०क०इ०का० घमण्डपुर पौड़ी	स०अ संगीत	रा०बा०इ०का० पोखरी चमोली	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती आशा देवी	रा०क०इ०का० रामनगर, नैनीताल	स०अ० व्यायाम	रा०बा०इ०का० दौलिया नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
10	सुश्री शुभ्रा पाण्डे	रा०क०इ०का० हरिपुर कालसी देहरादून	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० पिथौरामढ़	रिक्त पद के प्रति
11	कु० मंजू आर्या	रा०क०इ०का० कोटाबाग नैनीताल	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० धौलाखेड़ा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती शशि बाला	रा०क०इ०का० ब्रह्मपुरी देहरादून	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० ब्रह्मपुरी देहरादून	रिक्त पद के प्रति
13	आशा के० सिंह	रा०क०उ०का० पन्तनगर उ०सि०न०	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० काण्डा बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति
14	विमला प्रसाद	रा०क०उ०मा०वि० हरिदासपुर उ०सि०न०	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० बाड़ेझीना अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती कृष्णा आर्या	रा०क०इ०का० पन्तनगर उ०सि०न०	स०अ० गृह विज्ञान	रा०बा०इ०का० खुपताल नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
16	पूनम लता	रा०क०उ०मा०वि० बावरखेड़ा उ०सि०न०		रा०बा०इ०का० गोलीहाट पिथौरामढ़	रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती आशा आर्या	रा.क.उ०मा०वि० भ्याड़ी अल्मोड़ा	स०अ० अंग्रेजी	रा०बा०इ०का० तल्ला रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
18	श्रीमती शर्मिला मल्ल	रा०उ०मा०वि० राजीवग्राम टि.ग.	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० सर्धीपुर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति

19	सुश्री ग्रामरी जोशी	रा०क०इ०का० धौलाखेड़ा नैनीताल	स०अ० सामान्य	रा०इ०का० लालकुवों छिपाली नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
20	श्रीमती सुमन लता	रा०क०इ०का० झबरेडा हरिद्वार	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० जयन्ती अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
21	श्रीमती वन्दना थलेडी	रा०क०इ०का० कारगी देहरादून	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० द्वाराहाट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
22	श्रीमती गीता उनियाल	रा०क०उ०मा०वि० नई टिहरी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० विन्यालीसौङ उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
23	मीना अधिकारी	रा०क०इ०का० बीरोखाल पौड़ी	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० लैन्सडौन पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
24	श्रीमती प्रभा कुंवर सजदाण	रा०क०उ०मा०वि० पौड़ी नगर	स०अ० सामान्य	रा०बा०इ०का० श्रीनगर पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
25	श्रीमती सुमन गुप्ता	रा०क०इ०का० नरेन्द्रनगर टिहरी	स०अ० व्यायाम	रा०बा०इ०का० थत्यूड टिहरी	रिक्त पद के प्रति

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अन्वर्धन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-९(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-४ के प्रविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त पदोन्नतियों मा० ० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं० 1486/एस०एस०/ 2013 जीवन सिंह धामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं० 1487/एस०एस०/2013 लक्षण सिंह खारी व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।


MS/616
(बी०एस० नेमी)
प्रभारी अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ० सं० सेवा-२/अराज०/ ३२८६-९९ /2016-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की विषयवार संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यभार से मुक्त होने एवं पदोन्नति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का विवरण विभागीय ई-पोर्टल पर तत्काल ही अंकित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कदापि लापरवाही न वरती जाय।

- (10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निम्नांकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें—
 (क) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों।
 (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मातृ उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर भौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पाँच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
 (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
 (घ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई शिक्षक/शिक्षिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति भिन्न संवर्ग में हुई है, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न करायें।
 (च) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-3 में अकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा पुस्तिका से उनके संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित उन्हें कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें।
 (छ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई भिन्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का कष्ट करें।
 (ज) शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ई-पोर्टल पर संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की कार्यभार ग्रहण करने की अंकना तत्काल कराना सुनिश्चित करें।
 (क) कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भांति जांच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करायें अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थायक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्तर-10 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमत्य नहीं होगी।
 (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।


 (यूडी० गोस्वामी)
 उप निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।